"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 235] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 29 मई 2014— ज्येष्ठ 8, शक 1936

गृह (जेल) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 मई 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-43/तीन-जेल/2010. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ जेल (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2008 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक 2 के कॉलम (6) की प्रविष्टि क्रमांक (2) को विलोपित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ईमिल लकड़ा, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 29 मई 2014

क्रमांक एफ 3-43/तीन-जेल/2010. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-43/तीन-जेल/2010, दिनांक 29-05-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ईमिल लकड़ा, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 29th May 2014

NOTIFICATION

No. F 3-43/Three-Jail/2010. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Jail (Gazetted) Recruitment and Service Rules, 2008, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

The entry number 2 of column (6) of serial number 2 of Schedule-III shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
EMIL LAKRA , Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.